

. असाधारण

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड .4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

No. 911

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2012/चैत्र 30, 1934 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2012/CHAITRA 30, 1934

भारतीय दरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ताव पूरसवार जा जा जा जा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

. दूरसंचार टैरिफ (पचासवां संशोधन) आदेश, 2012

(2012 का 1)

सं. 301-24/2012-ईआर.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) उप—खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा के उप—खण्ड (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (पचासवां संशोधन) आदेश, 2012 कहा
 जाएगा।
- (2) ये आदेश सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

 2 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची II में ''टैरिफ' शीर्षक के अंतर्गत मद ''(6)
 प्रीपेड सेवा के लिए टैरिफ' में वर्णित प्रविध्टि के परन्तुक में,——
- (क) खण्ड (क) के लिए, निम्नलिखित खण्ड अन्तर्स्थापित किया जाएगा अर्थात:--
 - "(क) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम से कम 10 रूपए मूल्यवर्ग का एक टॉप अप वाउचर का प्रस्ताव करेगा तथा उसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा";

(1)

- (ख) खण्ड (एफ) के उप—खण्ड(ii) के लिए, निम्नलिखित उप—खण्ड अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "(ii) प्रशासनिक लागत या व्ययों के रूप में बीस रूपए से कम अधिकतम खुदरा मूल्य वाले प्रत्येक टॉप अप वाउचर पर दो रूपए तथा बीस रूपए या उससे अधिक वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के प्रत्येक टॉप अप वाउचर पर तीन रूपए से अधिक फीस नहीं लगाई जाएगी"।

राज पाल, सलाहकार (ईआर)

[विज्ञापन]]]/4/असाधारण/142/12]

टिप्पणी 1:- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:-

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख				
पहला	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999				
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999				
तीसरा	301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999				
चौथा	301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999				
5वां	301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999				
6वां	301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999				
7वां	301—8 / 2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000				
8वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000				
9वां	301—8 / 2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000				
10वां	306—1 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000				
11वां .	310—1(5) / ट्राई—2000 दिनांक 25.1.2001				
12वां	301—9 / 2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001				
13वां	303-4 / ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001				
14वां	306-2 / ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001				
15वां	310-1(5) / ट्राई2000 दिनांक 20.7.2001				
16वां	310-5(17) / 2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001				
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002				
18वां	303 / 3 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002				
19वां	303 /.3 / 2002 – ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002				
20वां	312-7 / 2001- ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002				
21वां	301—6/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002				

	(((() () () () () () () () (
22वां	312—5/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वा	303 / 8 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वा	306—2 / 2003—आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306—2/2003—आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303 / 6 / 2003—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301-51 / 2003-आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301—56 / 2003—आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301-4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वा	301-2 / 2004-आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301-37 / 2004-आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301-31 / 2004-आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.6.2005 .
39वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310-3(1) / 2003- आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	·310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301-34 / 2005-आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301-2/2006-आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301-34 / 2006-आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301-18 / 2007-आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301-36 / 2007-आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301-14/2008-आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301-31 / 2007 आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301-25/2009-आर्थिक दिनांक 20.11.2009

टिप्पणी २ – व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (पचासवां संशोधन) आदेश, 2012 के लिए उददेश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

वाउचर के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और जमा सेवा कर सिहत टॉक वैल्यू के बीच के अंतर को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस निर्धारित शुल्क का उल्लेख करने के लिए विभिन्न नामाविलयों का प्रयोग किया जाता है। टीटीओ (अड़तालीसवां संशोधन) आदेश के जिए अनन्य रूप से टॉक वैल्यू के प्रावधान से संबंधित किसी भी रिचार्ज वाउचर पर प्रोसेसिंग फीस के लिए दो रूपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी।

- 2. दूरसंचार ज़पमोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 में दोहराया गया है कि टॉप अप वाउचर में प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक कोई भी प्रशासनिक या प्रोसेसिंग फीस शामिल नहीं होगी।
- 3. भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (एयूएसपीआई) और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर संघ (सीओएआई) ने टॉप अप वाउचर की प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को मौजूदा 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने का अनुरोध किया है। इसके समर्थन में यह तर्क रखा गया है प्राधिकरण द्वारा दो रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित करके बाद से पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रारफीति का दबाव बढ़ा है। इस संबंध में अपने तर्क के समर्थन में वेतन/मजदूरी में बढ़ोत्तरी, परिवहन और डीजल की कीमतों में वृद्धि, भंडारण सहित अन्य कारणों से सेवा प्रदान करने की लागत बढ़ जाने का उल्लेख किया गया है।
- 4. सीओएआई और एयूएसपीआई से प्राप्त प्रतिवेदनों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण ने 15 मार्च, 2012 को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से संबंधित कितपय मुद्दों" पर परामर्श पत्र जारी करके हितधारकों से टिप्पणियों मांगी गई। प्रशासनिक और प्रोसेसिंग फीस पर उच्चतम सीमा को बढ़ाने से संबंधित मुद्दे पर परामर्श के लिए निम्नलिखित विशेष प्रश्न उठाए गए थे

- क्या टॉप आप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को 2 रुपए से बढ़ाकर 3
 रुपए करने, जैसा कि सेवा प्रदाता संघों ने अनुरोध किया है, के पर्याप्त औचित्य मौजूद हैं?
- यदि हां, तो क्या प्रोसेसिंग फीस में उपरोक्त वृद्धि की अनुमित केवल पेपर वाउचर के संबंध में दी जाएगी?
- 5. हितधारकों से टिप्पणियां 25 मार्च, 2012 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। एयूएसपीआई, सीओएआई, कुछेक सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता संगठनों और व्यक्तियों से लिखित में टिप्पणियां प्राप्त हुई। हितधारकों की इन टिप्पणियों पर संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:-
- 6. सेवा प्रदाताओं और उनके संघों ने प्रोसेसिंग फीस को बढ़ाकर 3 रुपए करने के अपने पुराने तर्क को दोहराया। इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि 2 रूपए की उच्चतम सीमा तीन साल से भी पहले निधित्ति की गई थी और उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि रिचार्ज वाउचरों से संबंधित लागतों की वसूली करने के लिए यह उच्चतम सीमा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दिए गए कारणों में मुद्रास्फीति का दबाव और टीसीपीआर, 2012 में यथा निर्धारित फॉट—साइज और कलर कोड आदि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामग्री की लागत में वृद्धि शामिल हैं। इसके अलावा, वितरण और रिटेल कमीशन, वाउचरों का मुद्रण, वाउचरों के एक्टीवेशन पर एसएमएस एलर्ट से संबंधित लागतों के साध—साध एआरपीयू का निम्न स्तर एवं उपभोक्ताओं द्वारा हाई वैल्यू वाले टॉप अप वाउचरों के स्थान पर कम मूल्य वाले टॉप अप वाउचरों को अपनाने जैसे कारणों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। बहरहाल, एक सेवा प्रदाता ने उल्लेख किया है कि 100 रुपए तक के वाउचरों पर 2 रुपए की उच्चतम सीमा जारी रखी जानी चाहिए क्योंकि कम आय वाले एक बड़े वर्ग द्वारा कम मूल्य के वाउचरों का आमतौर पर ज्यादा उपयोग किया जाता है।
- 7. उपभोक्ता समूहों और व्यक्तियों ने दो रुपए की मौजूदा उच्चतम सीमा को जारी रखने के संबंध में अपने—अपने तर्क रखे हैं। ऐसे सुझार्व भी प्राप्त हुए हैं जिनमें टॉप अप वाउचरों 1370 G1/12~2

पर अलग से प्रोसेसिंग फीस की अनुमित नहीं देने की बात कही गई है। इसके अलावा, कुछ उपभोक्ता समूहों और व्यक्तियों ने यह भी तर्क दिए हैं कि यदि प्रासेसिंग फीस बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में, कम आय वाले और कम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों को प्रोसेसिंग फीस में ऐसी बढ़ोतरी से बाहर रखा जाए। जबिक एक व्यक्ति ने यह उल्लेख किया है कि प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 3 रुपए करना औचित्यपूर्ण है।

- 8. ऊपर वर्णित परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अपने लिखित सुझावों के अलावा, सीओएआई ने टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि करने के अपने प्रस्ताव को सही ठहराते हुए प्राधिकरण को एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें यह दोहराया गया है कि प्रोसेसिंग फीस पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने के बाद, पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचालन लागत में वृद्धि होने के कारण टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि करना अपरिहार्य हो गया है। आगे, टीसीपीआर, 2012 के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यय एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की आय में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। सीओएआई ने तर्क दिया है कि प्रोसेसिंग फीस में प्रस्तावित वृद्धि से केवल टीसीपीआर, 2012 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आय में हुई कमी के एक भाग को प्रा किया जा सकेगा।
- 9. प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं और उनके संघों द्वारा दिए गए औचित्यों के साथ--साथ एपीआरयू में गिरावट के रूझान को समझता है। सितंबर, 2008 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसएम और सीडीएमए सेवा के लिए प्रीपेड सेवा में एआरपीयू क्रमश 189 रुपए और 95 रुपए था। दिसंबर, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसएम और सीडीएमए के लिए एआरपीयू कम होकर क्रमश 81 रुपए और 47 रुपए हो गया है।
- 10. उपरोक्त औचित्यों के बावजूद, प्राधिकरण महसूस करता है कि प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि का उन उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो आमतौर पर कम मूल्य के टॉप अप वाउचर खरीदते हैं। दूसरी ओर प्रोसेनिंग् फीस पर उच्चतम सीमा में वृद्धि पर विचार

करते समय यह ध्यान आवश्यक है कि उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा किस तरीके से की जा सकती है ताकि टॉप अप वाउचरों के जिए प्रदत्त शुद्ध मौद्रिक गूल्य की तुलना में प्रोसेसिंग फीस वहन करने योग्य स्तर पर बनी रहे। कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों के मामले में प्रोसेसिंग फीस में किसी भी वृद्धि का प्रभाव काफी व्यापक रहेगा। नीचे सारणी में दिए गए विवरण में विभिन्न मूल्य के टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि से पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है:—

अधिकतम	12.36 प्रतिशत की	1		मीरिक प्रच	ा, अगर पीएफ =	- 110	arres offere
खुदरा मूल्य ! स्पए	वर से सेवा कर + शिक्षा उपकर	प्रोसेसिंग फीस		1	ा, अगर पाएफ ≕ रुपए	मौद्रिक मूल्य, अगर पीएफ = 3 रूपए	
		रूपए	अधिकतम खुदरा मूल्य का प्रतिशत	रूपए	अधिकतम खुदरा मूल्य का प्रतिशत	रूपए	अधिकतम खुदरा मूल्य का प्रतिशत
10	1.10	2	20%	6.90	69%	5.90	59%
20	2.20	2	10%	15.80	79%	14.80	74%
30	3.30	2	6.7%	24.70	82%	23.70	79%
40	4.40	2	5%	33.6	84%	32.6	81.5%
50	5.50	2	4%	42.50	85%	41.50	83%
100	11.00	2	2%	87.00	87%	86.00	86%
200	22.00	2	1%	176.00	88%	175.00	87%
500	55.00	2	0.4%	443.00	89%	442.00	88%
1000	110.00	2	0.2%	888.00	89%	887.00	89%

- 11. 10/-रूपए के वाउचर के मामले में, जो कि उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है, की प्रोसेसिंग फीस 3/-रू० हो जाने से मौद्रिक मूल्य 69 प्रतिशत से घटकर 59 प्रतिशत हो जाएगा अर्थात् बात करने के समय में 10 प्रतिशत की कमी होगी। 20/-रूपए के टॉप अप वाउचरों के मामले में, बात करने के समय के प्रभावी मौद्रिक मूल्य 79 प्रतिशत से घटकर 74 प्रतिशत हो जाएगा (5 प्रतिशत प्वाईट की कमी) तथा जो आगे भी जारी रहेगी। जबिक उच्च मूल्यवर्गों के टॉप अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस का नाममात्र प्रभाव पड़ेगा।
- 12. प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि के औचित्यों के समर्थन का मूल्यांकन करते हुए प्राधिकरण यह भी महसूस करता है कि बीस रुपए से कम के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले वाउचरों को

प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि से बाहर रखा जाए। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि प्रोसेसिंग फीस की निर्धारित राशि का प्रभाव अधिक मूल्य के टॉप अप वाउचरों की तुलना में कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों पर अधिक पड़ेगा। मल्टीपल रिचार्ज के साथ उपभोक्ता कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों के साथ अधिक रिचार्ज करा रहे हैं और इस प्रकार वे अधिक मूल्य के टॉप अप वाउचर के साथ रिचार्ज कराने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं। अतः टॉप अप वाउचरों के सभी मूल्यों में एक समान निर्धारित प्रोसेसिंग फीस रखना समानता की भावना के विपरीत प्रतीत होता है।

- 13. इसके अलावा, प्राधिकरण पेपर टॉप अप वाउचरों और इलेक्ट्रॉनिक वाउचरों के संबंध में प्रोसेसिंग फीस पर एक समान उच्चतम सीमा के संबंध में सेवा प्रदाताओं और उनके संघों के सुझावों से सहमत है। पेपर टॉप अप के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक टॉप अप वाउचरों पर एक समान प्रोसेसिंग फीस पारदर्शिता और समानता के परिप्रेक्ष्य में भी उपयुक्त रहेगी।
- 14. अतः प्राधिकरण ने बीस रुपए या उससे अधिक वाले अधिकतम खुदरा मूल्य वाले टॉप अप वाजचरों के संबंध में, टॉप अप वाजचरों पर प्रोसेसिंग फीस की जच्चतम सीमा को दो रुपए से बढ़ाकर तीन रुपए करने और बीस रुपए से कम के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले टॉप अप वाजचरों के संबंध में दो रुपए की मौजूदा जच्चतम सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया है।
- 15. इससे संबंधित एक और मुद्दा, बाजार में कम मूल्य के टॉप अप वाउचरों की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ा है क्योंकि ऐसे टॉप अप वाउचरों की अनुपलब्धता के मामले, प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हैं। अतः उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के दृष्टि से, प्राधिकरण आदेश देता है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता कम से कम 10 रूपए मूल्यवर्ग का एक टॉप अप वाउचर का प्रस्ताव करेगा तथा उसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2012

The Telecommunication Tariff (Fiftieth-Amendment) Order, 2012 (No. 1 of 2012)

No. 301-24/2012-ER.—In exercise of the powers conferred upon it under subsection (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:

- 1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Fiftieth amendment) Order, 2012.
 - (2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In Schedule II of the Telecommunication Tariff Order, 1999, under the heading "Tariff", in the entries appearing against the item "(6) Tariff for prepaid service", in the proviso, ---
- (a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) Every service provider shall offer and make available to the consumer at least one top up voucher, of denomination of rupees ten.";
- (b) for sub-clause (ii) of clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 - "(ii) a nominal fee, not exceeding two rupees for each top up voucher having maximum retail price below rupees twenty and not exceeding three rupees for each top up voucher having maximum retail price of rupees twenty or more, shall be levied towards administrative cost or expenses."

RAJ PAL, Advisor (ER)
[ADVT. III/4/Exty./142/12]

1370 GI/12-3

Note 1:- The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Amendment No.	Notification No. and Date	
] st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999	
2 nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999	
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999	
4 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999	
5 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999	
6 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999	
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000	
8 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000	
9 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000	
10 th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000	
`11 th	310-I(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001	
12 th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001	_
13 th	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001	
14 th	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001	•
15 th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001	
16 th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001	
17 th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002	
18 th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002	
19 th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002	
20 th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002	
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002	
22 nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002	
23 rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002	
24 th	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003	
25 th	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003	
26 th	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003	
27 th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003	

t .	
28 th	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 th	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30 th	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 nd	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 th	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 th	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 th	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 th	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 nd	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 rd	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45 th	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 th	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 th	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 th	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 th	No. 301-25/2009-ER dated 20.11.2009

Note 2. – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Fiftieth Amendment) Order, 2012.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The difference between the Maximum Retail Price (MRP) of the vouchers and the talk value plus service tax is known as processing fee, though different nomenclatures are used to refer to this fixed charge. Through TTO (Forty-Eighth Amendment) Order a ceiling of rupees two was prescribed on processing fee on any recharge voucher exclusively meant for provision of talk value.

- 2. The Telecom Consumers Protection Regulations (TCPR), 2012 reiterate that Top up voucher shall not contain any administrative or processing fee beyond the ceiling specified by the Authority.
- 3. Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI) and Cellular Operators Association of India (COAI) have requested for upward revision of the Processing Fee in Top up vouchers to rupees three from the existing ceiling of rupees two. It has been argued that there has been inflationary pressure in the last three years since the ceiling of rupees two was prescribed by the Authority. Cost of providing service by way of hike in salaries/wages, increase in cost of transportation & diesel cost, increase in cost of storage etc., among others have been cited as supporting arguments in this regard.
- 4. In order to decide on above representations from COAI and AUSPI, the Authority has invited comments of the stakeholders by issuing a consultation paper on "Certain issues relating to the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012" on 15th March, 2012. On the issue of increasing ceiling on administrative and processing fee, the following specific questions were raised for consultation:
- on Top up vouchers from Rs.2/ to Rs. 3/-, as requested by the associations of service providers?

If yes, should the above increase in processing fee be allowed only in respect of paper voucher?

- 5. The stakeholders were requested to send their comments by the 25th March 2012. Written comments have been received from AUSPI, COAI, few service providers, consumer organisations and individuals. These comments of the stakeholders are briefly discussed as under:
- 6. The service providers and their associations have reiterated their stated position arguing for increase in the Processing Fee to Rs.3/-. It has been argued that the ceiling of Rs 2/- was prescribed more than three years ago and even at that time they had submitted that the ceiling was not sufficient to recover costs related to recharge vouchers. The reasons given are inflationary pressures and increase in cost of the material to meet requirements of font-size and colour code etc. as prescribed by TCPR, 2012. In addition, the costs relating to the distribution and retail commission, printing of vouchers, SMS alerts on activation of vouchers as well as the low level of ARPU and customers moving away from high value top up vouchers to small denomination top up vouchers have been highlighted. However, one service provider has stated that the ceiling of Rs.2/- should continue on denominations up to Rs.100/- as lower denominations are generally used by low income strata.
- 7. The consumer groups as well as individuals have argued for continuation of the existing ceiling of rupees two. There are also suggestions for not allowing any separate processing fee on top-up vouchers. Further, some of the consumers groups and individuals have argued that in case the ceiling on processing is increased, the top up vouchers of smaller denominations should be exempted from such hike in processing fee in order to protect interests of marginal and low usage subscribers. While one individual has stated that the increase in ceiling on processing fee to Rs. 3/- is justified.

1870 GI/12-4

- 8. Subsequently, in addition to their written suggestions in response to the above cited consultation paper, COAI have submitted another representation to the Authority justifying their proposal for increase in processing fee on top up vouchers. It has been reiterated that the upward revision of processing fee on top up vouchers is inescapable on account of increase in operating costs over the years since the ceiling on processing fee was prescribed. Further, the costs arising out of the implementation of the TCPR, 2012 and drop in revenue of the telecom service providers have also been highlighted. COAI have also argued that the proposed increase in processing fee will only mitigate a portion of the revenue shortfall that has been witnessed with implementation of the TCPR.
- 9. The Authority appreciates the justifications given by the service providers and their associations as well as the falling trend in APRU. The ARPU in respect of prepaid service for GSM and CDMA was Rs.189 and Rs.95 respectively for the quarter ending September 2008. The ARPU for GSM and CDMA for the quarter ending December 2011 have fallen to Rs.81 and Rs.47 respectively.
- 10. Notwithstanding the above justifications, the Authority feels that hike in the Processing Fee is likely to adversely impact the users who generally buy Top up vouchers with smaller denominations. While considering increase in the existing ceiling on processing fee, it is necessary to see how the interest of users can be protected so that the processing fee remains at affordable level vis-a-vis the net monetary value offered through the Top up voucher. The impact of any increase in the Processing Fee will be much more in the case of lower denominations Top up vouchers. Details given in the Table below illustrate the extent of impact on of processing fee on top up vouchers of various denominations:

. [MRP	Service	Pro	ocessing	Monitory Value		Monitory Value	
	Rs.	Tax	Fee		if $PF = Rs. 2$		if PF = Rs. 3	
	1/5.	+	 - <u></u>	·		T	ļ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		Education	Rs.	%age of	Rs.	%age of	Rs.	%age of
		cess@		MRP		MRP		MRP
		12.36%				<i>'</i>		:
	10	1.10	2	20%	6.90	69%	5.90	59%
	20	2.20	2	10%	15.80	79%	14.80	74%
	30	3.30	2	6.7%	24.70	82%	23.70	79%
	40	4.40	2	5%	33.6	84%	32.6	81.5%
	50	5.50	2	4%	42.50	85%	41.50	83%
	100	11.00	2	2%	87.00	87%	86.00	86%
	200	22.00	2	1%	176.00	88%,	175.00	87%
	500	55.00	2	0.4%	443.00	89%	442.00	88%
	1000	110.00	2	0.2%	888.00	89%	887.00	89%

- 11. In the case of Rs.10/- voucher, which is very popular among users, the monetary value will be reduced to 59% from 69% with increase in processing fee to Rs.3/- i.e., 10% reduction in talk time. In the case of Rs.20 Top up vouchers, effective talk-time value will get reduced to 74% from 79% (reduction of 5 %age points), and so on. As such, for higher denominations of Top up vouchers, the impact of Processing Fee is minimal.
- 12. While appreciating the justifications in support of increase in processing fee, the Authority feels that the top up vouchers having MRP less than rupees twenty should be exempted from increase in processing fee. The Authority has also noted that the impact of fixed amount of Processing Fee is relatively more on top up vouchers of smaller denominations as compared to higher

denomination top up vouchers. With multiple recharges, the subscribers recharging with smaller denomination top up vouchers end up paying proportionately more processing fee in comparison to the subscribers charging with high value top up vouchers. Therefore, having a uniform fixed Processing Fee across all denomination of Top up vouchers appears to go against equity.

- 13. Further, the Authority also agrees with the suggestions of the service providers and their association for having a uniform ceiling on processing fee in respect of paper top up vouchers and electronic top up vouchers. A uniform processing fee on paper as well as electronic top up vouchers would be appropriate from transparency and equity perspective.
- 14. Therefore, the Authority has decided to increase the ceiling on Processing Fee on Top up vouchers to rupees three from rupees two in respect of Top up vouchers having Maximum Retail Price of rupees twenty and above and to continue with the existing ceiling of rupees two in respect of Top up vouchers having Maximum Retail Price of less than rupees twenty.
- 15. Another closely linked issue is ensuring the actual availability of Top up vouchers of lower denominations in the market, as instances of non-availability of such Top up vouchers have been brought to the notice of the Authority. Therefore, with a view to protect the interests of users, the Authority mandates that every service provider shall offer and make available to the consumer at least one top up voucher, of denomination of rupees ten.
